बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSPGCL–06 / 2026– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **राज्य के वित्तीय हित, किसानों की आय में वृद्धि और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा सौर ऊर्जा से शेष 2554 कृषि फीडरों के सोलराईजेशन हेतु कुल 2585 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापनार्थ 1.05 करोड़ (एक करोड़ पाँच लाख) रूपये प्रति मेगावाट के अनुदान हेतु आवश्यक 2714.25 करोड़ (दो हजार सात सौ चौदह करोड़ पच्चीस लाख) रूपये तथा 946 विद्युत उपकेन्द्रों में योजना के क्रियान्वयन पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए कुल 47.30 करोड़ (सैंतालीस करोड़ तीस लाख) रूपये की राशि देने हेतु कुल 2761.55 करोड़ (दो हजार सात सौ इकसठ करोड़ पचपन लाख) रूपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पी0एम0 कुसुम) योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के घटक–सी के अंतर्गत बिहार में फीडर सोलराईजेशन हेतु कुल 456.313 मेगावाट का विद्युत क्रय समझौता (पी0पी0ए0) किया गया, जिसके क्रियान्वयन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। पी0एम0 कुसुम योजना के अंतर्गत फीडर सोलराईजेशन के निविदा एवं विद्युत क्रय समझौता के निष्पादन की समय सीमा दिसम्बर, 2025 निर्धारित की गयी थी तथा इस योजना के क्रियान्वयन की समय–सीमा मार्च, 2027 तक निर्धारित की गयी है।

2. वर्ष 2024 में केन्द्र सरकार की पी0एम0 कुसुम योजना के तहत 30 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 1.05 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट के अनुदान का लाभ प्राप्त करते हुए राज्य योजना से 0.45 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट की दर से वित्तीय सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान किया गया है। कृषि फीडरों के सोलराईजेशन हेतु स्वीकृत कुल बजटीय राशि 1200.00 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रूपये है। इस योजना के अंतर्गत 175 विद्युत उपकेन्द्रों से जुड़े 684 कृषि एवं मिक्स फीडरों के सोलराईजेशन हेतु कुल 456.313 मेगावाट का विद्युत क्रय समझौता किया गया है जिसपर कुल 205.34 करोड़ रूपये के अनुदान के भुगतान का अनुमान है, तदोपरांत राज्य योजना में लगभग 994.66 करोड़ (नौ सौ चौरानवे करोड़ छियासठ लाख) रूपये की राशि शेष बची रहेगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य में कुल 31.1 मेगावाट की क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

3. बिहार राज्य में कुल कृषि फीडरों की संख्या 2762 है जिसमें प्रथम चरण में मात्र 208 फीडर का सोलराईजेशन हेतु 456.313 मेगावाट का विद्युत क्रय समझौता किया गया है शेष कुल 2554 कृषि फीडरों के सोलराईजेशन किये जाने हेतु कुल 2585 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना किया जाना है।

4. सौर ऊर्जा के कम व्यय पर उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापनार्थ इसका क्रियान्वयन रेस्को (Renewable Energy Service Company) PPP (Public-Private Partnership) मोड पर किया जा रहा है। PPP (Public-Private Partnership) मोड पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रारम्भ में राज्य को कम राशि की आवश्यकता होगी क्योंकि अधिकांश राशि डेवलपर द्वारा निवेश की जायेगी एवं डेवलपर द्वारा उत्पादन के उपरांत आपूर्ति की जाने वाली सौर ऊर्जा के मासिक पठन के आधार पर 25 वर्षों की अवधि में बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार भुगतेय होगी।

5. इस योजना के अंतर्गत किसानों एवं अन्य रैयतों से भूमि प्राप्त करने हेतु एक लैंड एग्रीगेशन पोर्टल की व्यवस्था की जायेगी, जिसके माध्यम से इच्छुक किसान/रैयत अपनी भूमि को सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु लीज पर देने के लिए आवेदन कर सकेंगे। उक्त पोर्टल में प्राप्त आवेदनों के आधार पर रेस्को डेवलपर्स सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसानों/रैयतों के साथ अगले 27 वर्षों के लिए आपसी सहमति कर भूमि लीज पर ले सकेंगे।

6. राज्य सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को 0.55 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करायी जाती है जिसके कारण 6.15 रूपये प्रति यूनिट की दर से सरकार अनुदान की राशि का भुगतान करती है। राज्य सरकार प्रति वर्ष लगभग 4750.00 करोड़ रूपये उक्त कोटि के उपभोक्ताओं हेतु अनुदान वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराती है।

7. कृषि पम्पों के फीडर लेवल सोलराईजेशन की इस योजना के क्रियान्वयन से निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगेः–

- इससे किसानों के फीडर के आस–पास के लोकल क्षेत्र में बिजली उत्पादन होगा, जिससे दिन के समय किसानों को निर्बाध रूप से हरित ऊर्जा (सौर ऊर्जा) उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का विकास होगा, निजी निवेश आकर्षित किया जा सकेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।
- साथ ही डेवलपर द्वारा किसानों की जमीन सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु लीज/पट्टे पे ली जायेगी। भूमि को डेवलपर द्वारा लीज पर लिए जाने से किसानों को एक निश्चित एवं स्थायी आमदनी प्राप्त होगी।
- राज्य में विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या तथा क्षमता में वृद्धि हो सकेगी जिससे विद्युत कंपनियों के तकनीकी हानि में कमी आयेगी।
- इस योजना के क्रियान्वयन से विद्युत वितरण कंपनियों को नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्वों (RPO) को पूर्ण करने में मदद मिलेगी।
- राज्य में कृषि हेतु ऊर्जा की आवश्यकता एवं राज्य द्वारा कृषि पम्पों को दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ कम हो सकेगा जिससे राज्य सरकार द्वारा कृषि पम्पों को दी जाने वाली बिजली पर अनुदान के व्यय को सीमित रखा जा सकेगा।

8. केन्द्र सरकार के फीडर सोलराईजेशन योजना की अवधि मार्च, 2027 तक ही है, तथा इसके उपरांत अगले चरण की योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है, अतः

राज्यहित में तथा जल–जीवन–हरियाली अभियान के घटक–9 के अंतर्गत सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है।

9. भविष्य में, केंद्र सरकार की "फीडर लेवल सोलराईजेशन योजना (पी0एम0 कुसुम–2.0)" की मंजूरी के उपरांत पी0एम0 कुसुम–2.0 के साथ राज्य की इस योजना को समायोजित कर केंद्र सरकार की योजना के अनुदान का लाभ प्राप्त करते हुए फीडर लेवल सोलराईजेशन के अंतर्गत कुल सहायता राशि को अधिकतम 1.05 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के साथ बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन की नीति–2025 का लाभ भी दिया जाएगा। पी0एम0 कुसुम–2.0 के साथ इस योजना को समायोजित करने तथा केंद्र सरकार की योजना के अनुदान का लाभ प्राप्त करने से राज्य सरकार के अनुदान अंश में कमी आयेगी।

10. इस योजना के अंतर्गत लैंड एग्रीगेशन हेतु पंचायतों से भी सहायता ली जाएगी तथा कुल 946 विद्युत उपकेन्द्रों से संबंधित पंचायतों को प्रति विद्युत उपकेन्द्र 5.00 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि लैंड एग्रीगेशन में की गई सहायता के लिए लोकल डेवलेपमेंट हेतु दिया जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु कुल 47.30 करोड़ रूपये संबंधित पंचायतों को अपने पंचायत में योजना के सफल क्रियान्वयन होने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाना है।

11. शेष 2554 कृषि फीडरों के सोलराईजेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य से कुल 2585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 1.05 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट के अनुदान की दर से कुल 2714.25 करोड़ (दो हजार सात सौ चौदह करोड़ पच्चीस लाख) रूपये तथा 946 विद्युत उपकेन्द्रों हेतु लैंड एग्रीगेशन के लिए कुल 47.30 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि देने के लिए कुल 2761.55 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाना है।

12. इस योजना की स्वीकृति के उपरांत बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 द्वारा निविदा के माध्यम से रेस्को डेवलपर का चयन कर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना PPP (Public-Private Partnership) मोड में की जाएगी तथा चरणबद्ध रूप में 2761.55 करोड़ रूपये का अनुदान की राशि दी जाएगी। उक्त योजना के क्रियान्वयन से वर्तमान में, वितरण कंपनियों को कृषि पम्पों के बिजली के दर को कम करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के मद में सरकार द्वारा दिए जा रहे 4750.00 करोड़ रूपये के वार्षिक अनुदान की राशि में कमी आयेगी।

13. उक्त आलोक में राज्य के वित्तीय हित, किसानों की आय में वृद्धि और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा सौर ऊर्जा से शेष 2554 कृषि फीडरों के सोलराईजेशन हेतु कुल 2585 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापनार्थ 1.05 करोड़ (एक करोड़ पाँच लाख) रूपये प्रति मेगावाट के अनुदान हेतु आवश्यक 2714.25 करोड़ (दो हजार सात सौ चौदह करोड़ पच्चीस लाख) रूपये तथा 946 विद्युत उपकेन्द्रों में योजना के क्रियान्वयन पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए कुल 47.30 करोड़ (सैंतालीस करोड़ तीस लाख) रूपये की राशि देने हेतु कुल 2761.55 करोड़ (दो हजार सात सौ इकसठ करोड़ पचपन लाख) रूपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

14. राशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में नया बजट शीर्ष खोलकर किया जायेगा।

15. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPGCL–06/2026 के पृष्ठ संख्या–27/टि0 पर दिनांक–30.09.2026 को प्राप्त है।

17. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPGCL–06/2026 के पृष्ठ संख्या–30/टि0 पर दिनांक–05.10.2026 को प्राप्त है।

18. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPGCL–06/2026– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–BSPGCL–06/2026– 5029 /पटना, दिनांक– 06.10.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.10.26
सरकार के संयुक्त सचिव।